भाग - I

अध्याय - I

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-पद्धति

भाग- I

अध्याय- I

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

1. *परिचय*

1.1 विद्युत क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य ने 27,436 मेगावाट की विद्युत क्षमता की पहचान की है जिसमें से 10,571.17 मेगावॉट का दोहन मार्च 2019 तक कर लिया गया है। इनमें से 814.09 मेगावाट राज्य सरकार के नियंत्रण में है जबकि शेष का उपयोग केन्द्रीय सरकार (7,457.73 मेगावाट) तथा निजी क्षेत्र (2,299.35 मेगावाट) द्वारा किया जा रहा है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 652.55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन कर रहे है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 9,390.82 मिलियन यूनिट की कुल मांग के प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित मात्र 1962.11 मिलियन यूनिट का उत्पादन करने में समर्थ थी तथा शेष 7,428.71 मिलियन यूनिट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा अन्य उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त किए गए थे। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढ़ांचा प्रदान करने के अलावा यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद हेतु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की कुल बिक्री का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों और हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के टर्न ओवर का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.1: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्न ओवर और हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	3,830.56	4,230.44	5,093.79	5,599.56	5,993.79
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	85,841	95,587	1,10,511	1,24,570	1,35,914
टर्न ओवर की हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशतता	4.46	4.43	4.61	4.50	4.41

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के 2017-18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर आंकड़ों एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

पिछले वर्षों में विद्युत क्षेत्र के टर्न ओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि के दौरान टर्न ओवर में वृद्धि 7.04 *प्रतिशत* और 20.41 *प्रतिशत* के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.11 *प्रतिशत* और 15.61 *प्रतिशत* के बीच रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 12.17 *प्रतिशत* था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास लम्बी समय अवधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्न ओवर में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 12.17 *प्रतिशत* चक्रवृद्धि वार्षिक विकास के प्रति 11.84 *प्रतिशत* का न्यून चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज हुआ। इसके परिणामस्वरूप इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्न ओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 4.46 *प्रतिशत* से घटकर 2017-18 में 4.41 *प्रतिशत* रह गई।

1.2 *विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन/निर्माण*

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों अर्थात 2006-07 के दौरान हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, यद्यपि ₹79.71 करोड़ की इक्विटी का निवेश 2007-08 के दौरान किया गया 2008-09 में ₹3.00 करोड़ के इक्विटी निवेश के साथ हिमाचल प्रदेश संचरण निगम सीमित तथा दिसम्बर 2009 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का गठन किया।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भार मुक्त करने तथा इसकी परिसम्पत्तियों, सामग्रियों, देयताओं, कर्तव्यों, कार्यवाहियों तथा कर्मचारी वर्ग को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में स्थानान्तरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानांतरण योजना, 2010 प्रतिपादित की (जून 2010)। कम्पनी 10 जून 2010 को अस्तित्व में आई तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड की सभी परिसम्पत्तियों व देयताओं को हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानांतरण योजना 2010 के प्रावधान के अनुसार नवनिर्मित कम्पनी में स्थानांतरित किया गया। 2002-03 के दौरान ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित नामक की एक अन्य विद्युत क्षेत्र

कम्पनी को भी 100 मेगावाट की उहल-।।। जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सहायक के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2018 को राज्य में चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियां थी। इन चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियों में से ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित ने 2017-18 तक कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नही की थी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा 477.450 मेगावाट की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता वाली इक्कीस जल विद्युत परियोजनाओं का उनकी वितरण गतिविधियों सहित अनुरक्षण किया जाएगा तथा 986 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली केवल छः नई जल विद्युत परियोजनाओं को निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्थानान्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के पास 110 मेगावाट की क्षमता की दो परियोजनाएं निष्पादनाधीन थी जिसमें से 10 मेगावाट की एक परियोजना 2014 के दौरान पूर्ण कर दी गई थी। राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 में निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को 70.50 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली चार नई जल विद्युत परियोजनाएं भी आबंटित की है।

संचरण लाईनों से सम्बन्धित सभी परिसम्पत्तियां एवं देयताएं (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की भविष्यगामी/विद्यमान जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी लाईनों या वितरण प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा न होकर) हिमाचल विद्युत संचरण निगम सीमित में निहित/हस्तान्तरित होगी। तदनुसार, 66 किलोवोल्ट तथा इससे अधिक (278.860 सर्किट किलोमीटर) की 14 विद्यमान संचरण लाइनों को 2009-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को हस्तान्तरित किया गया।

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित उपर्युक्त 14 संचरण लाईनों को छोड़कर वितरण गतिविधियों सहित इसके सभी मौजूदा उत्पादन तथा संचरण नेटवर्क का प्रबन्धन/संचालन कर रहा है इसलिए विद्युत अधिनियम, 2003 में बोर्ड को भार मुक्त करने का परिकल्पित अभिप्राय सच्चे अर्थों में प्राप्त नहीं किया गया।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.3 31 मार्च 2018 तक विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का सारांश नीचे दिया गया है:-

तालिका 1.2: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		कुल
		हि.प्र. सरकार	अन्य	हि.प्र. सरकार	अन्य	
विद्युत का उत्पादन (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित)	1	527.64	1,327.92	2,508.62	14.71	4,378.89
विद्युत का संचारण (हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित)	1	177.75	108.70	680.87	37.18	1,004.49
विद्युत का वितरण (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित)	1	670.56	--	2,909.61	1917.57	5,497.74
अन्य[1] (व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित)	1	--	300.00	--	933.40	1,233.40
कुल	**4**	**1,375.95**		**6,099.10**	**2,902.86**	**12,114.52**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण) 31 मार्च 2018 तक 12,114.52 करोड़ था। निवेश में इक्विटी 25.69 *प्रतिशत* एवं दीर्घावधि ऋण 74.31 *प्रतिशत* शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप में दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों के 67.75 *प्रतिशत* (₹6,099.10 करोड़) थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 32.25 *प्रतिशत* (₹2,902.86 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया। 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना[2] (उदय) के तहत 15 सितम्बर 2015 तक डिस्काम के बकाया ऋणों (₹3,854 करोड़) में से ₹2,890.50 करोड़ (75 *प्रतिशत*) का भार ले चुकी थी।

[1] उहल- III जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए बनाई गई हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सीमित की सहायक कम्पनी।

[2] डिस्काम के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.4 हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों हेतु विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान/उपदान, बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय निकास का सारांशित विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.3: विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[3]	2015-16		2016-17		2017-18	
	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी (i)	3	265.00	2	69.51	3	182.11
दिए गए ऋण (ii)	1	85.00	1	120.00	1	262.68
अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई (iii)	1	0.70		-	1	6.00
कुल निकास (i+ii+iii)		350.70		189.51		450.79
ऋण वापसी को बट्टे खाते में भेजना		0		-		-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण		-				-
वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटियां	1	300.00	1	2,890.50	-	-
गारंटी प्रतिबद्धत/बकाया	1	2,650.59	1	3,760.25	1	3,715.50

स्रोत: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडियों के लिए बजटीय सहायता का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ 1.1: इक्विटी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडियों के लिए बजटीय सहायता

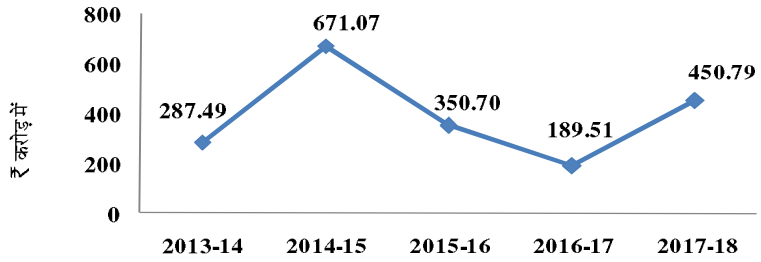

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹189.51 करोड़ और ₹671.07 करोड़ के मध्य थी। 2014-15 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एवं हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को ऋणों व अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में ₹521.07 करोड़ अवमुक्त होने के कारण तथा 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित एवं हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹427.52 करोड़ की इक्विटी व ऋणों को अवमुक्त करने के कारण बजटीय सहायता में वृद्धि हुई।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा शून्य *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* तक गारंटी शुल्क प्रभारित करती है।

3 राशि केवल राज्य के बजट से खर्च को दर्शाती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.5 राज्य के विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों में प्रदर्शित इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी से सम्बन्धित आंकड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नही मिलते हैं तो सम्बन्धित विद्युत क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ऋण की स्थिति में अन्तर को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: वित्त लेखों के अनुसार बकाया ऋणों की विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों से तुलना

(₹ करोड़ में)

इनसे सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	827.71	848.30	20.59
ऋण	3,387.83	6,099.10	2,711.27

स्रोत: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों और वित्तलेखो से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अन्तर बना हुआ है। समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मुद्दा भी उठाया गया। इसलिए हम सिफारिश करते है कि राज्य सरकार और विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का मिलान करना चाहिए।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत करना

1.6 विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2018 तक भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा की परिधि में चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। वर्ष 2017-18 के लेखों को इनमे से किसी भी कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सांविधिक आवश्यकता के अनुसार 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं की 30 सितम्बर तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रस्तुति के बकायों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित स्थिति

क्र.स.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	4	4	4	4	4
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखों की संख्या	2	3	4	4	3
3.	चालू वर्ष के लिए लेखों को अन्तिम रूप देने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	1	0	0	0	0
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों के अन्तिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	1	3	4	4	3
5.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया है	4	4	4	4	4
6.	बकाया लेखों की संख्या	4	5	5	5	6
7.	बकायों की सीमा	दो वर्ष	दो वर्ष	दो वर्ष	दो वर्ष	दो वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखो के आधार पर संकलित

राज्य के इन चार कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले वर्षों के लिए तीन वार्षिक लेखों को 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 के अवधि के दौरान अन्तिम रूप दिया था। इन संस्थाओ की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए और इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखों को अन्तिम रूप देने और उनका पालन करने को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.7 30 सितम्बर 2018 तक चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियों के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों को ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा किये गए निवेश पर उचित लाभ प्राप्त करेगें। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार व अन्यों का कुल निवेश ₹12,114.52 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹3,112.57 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹9,001.95 करोड़ सम्मिलित थे। इसमें से हिमाचल प्रदेश सरकार का केवल तीन विद्युत क्षेत्र वे उपक्रमों में ₹7,475.04 करोड़ का निवेश है जिसमें ₹1,375.94 करोड़ की इक्विटी और ₹6,099.10 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल है। वर्ष 2016-17 में ऋणों में वृद्धि का मुख्य कारण उदय स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ₹2,890.50 करोड़ का ऋण था।

2013-14 से 2017-18 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में निवेश की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार है:

ग्राफ.1.2: हिमाचल प्रदेश सरकार का विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

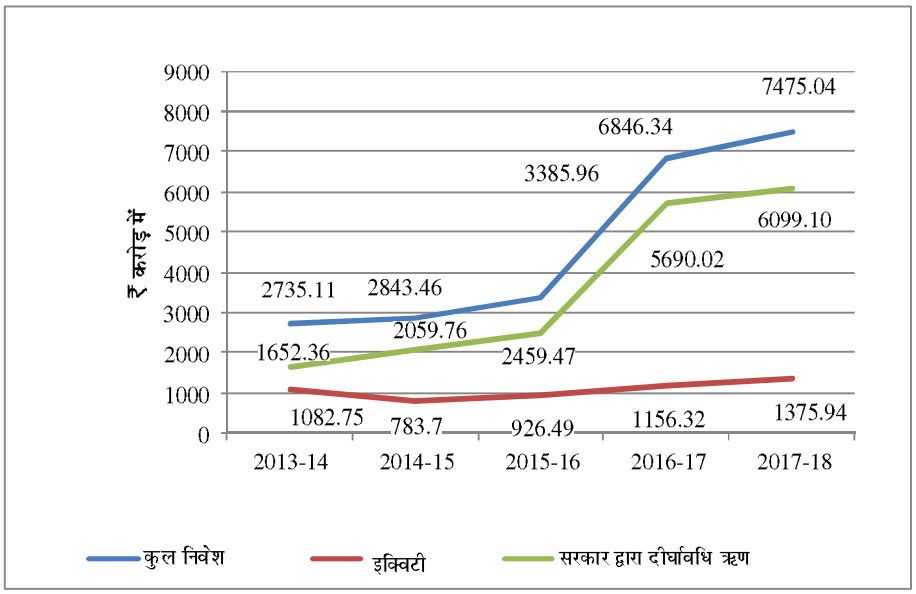

कम्पनी की लाभप्रदता का पारंपरिक रूप से आंकलन निवेश पर प्रतिफल तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल निश्चित वर्ष में धन की निवेशित राशि पर हुए लाभ अथवा हानि से मापा जाता है तथा कुल निवेश से प्राप्त निवल लाभ के *प्रतिशत* के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है।

निवेश पर प्रतिफल

1.8 निवेश पर प्रतिफल कुल निवेश पर हुए लाभ अथवा हानि का *प्रतिशत* है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान सभी विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित किए गए लाभ/एवं उठाई गई हानियों[4] की समग्र स्थिति को एक ग्राफ में नीचे दर्शाया गया है।

[4] सम्बन्धित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार आंकड़े।

ग्राफ 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां

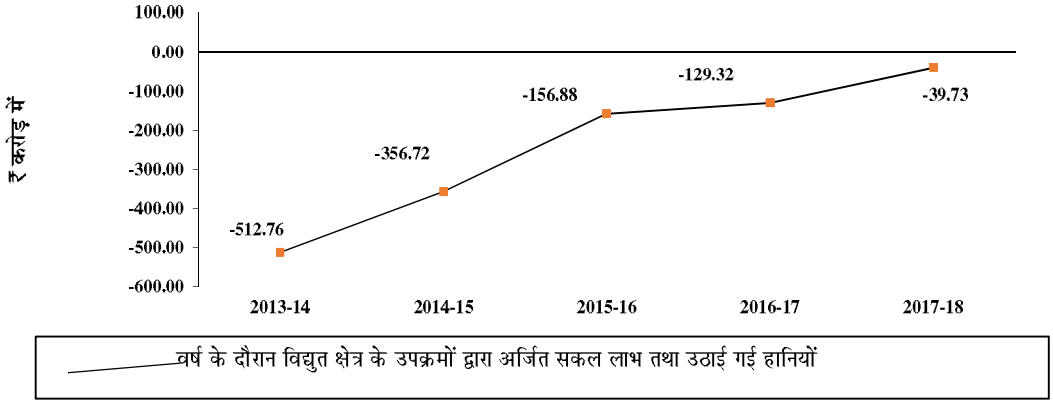

- 2013-14 में ₹512.76 करोड़ की हानि के प्रति इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को 2017-18 में ₹39.73 करोड़ की हानि हुई (***परिशिष्ट 1.1***)।
- राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में वित्तीय पैकेज प्रदान करना, हानियों में गिरावट का मुख्य कारण था।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले तथा हानियां उठाने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति निम्न है:-

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार 2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया या हानियां उठाई

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	लाभ अर्जित करने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	हानि उठाने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	उन विद्युत क्षेत्रों के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ व हानि लेखा तैयार नहीं किया
2013-14	4	-	1	3
2014-15	4	1	2	1
2015-16	4	1	2	1
2016-17	4	1	2	1
2017-18	4	-	3	1

(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

1.9 राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने केवल तीन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/उपदान के रूप में धन का निवेश किया। राज्य सरकार ने एक कम्पनी (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) में किसी भी प्रत्यक्ष धन का निवेश नहीं किया जहाँ 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी इक्विटी का अंशदान नही किया गया था। सम्बन्धित नियन्त्रक कम्पनी द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की सहायक कम्पनी को सम्पूर्ण इक्विटी का योगदान दिया गया।

इन तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का केवल इक्विटी में ₹1,376.44 करोड़ का निवेश था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल निवेश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज रहित ऋण के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित धन *(₹ करोड़ में)*	कुल उपार्जन/हानि *(₹ करोड़ में)*	निवेश पर प्रतिफल *(प्रतिशत में)*
2013-14	1082.75	-512.76	-47.36
2014-15	784.21	-356.72	-45.49
2015-16	926.99	-156.88	-16.92
2016-17	1156.80	-129.32	-11.18
2017-18	1376.44	-39.73	-2.89

2013-14 से 2017-18 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निवेश पर प्रतिफल -47.36 *प्रतिशत* से -2.89 *प्रतिशत* के बीच रहा।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर

1.10 सरकार द्वारा तीन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में भारी निवेश को देखते हुए राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस तरह के निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारम्परिक गणना प्रतिफल निवेश की पर्याप्तता का एक सही संकेतक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएं वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर तीन विद्युत क्षेत्र कम्पनियों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित निधियों की वापसी की गणना के अतिरिक्त धन के वर्तमान मूल्य पर विचार करने के बाद निवेश पर प्रतिफल की भी गणना की गई है। जहां 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से इक्विटी और ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था वहां राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:-

- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष[5] के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचाने के लिए छूट दर[6] के रूप में अपनाया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए निधियों के निवेश की लागत का प्रतिनिधित्व करते है।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए जब चार कम्पनियों ने हानि उठाई तो निष्पादन का एक अधिक उपयुक्त परिमाण घाटे के कारण नेटवर्थ का क्षरण है। कम्पनी के नेटवर्थ के क्षरण पर टिप्पणी **परिच्छेद 1.12** में की गई है।

1.11 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से इक्विटी और ऋण के रूप में तीन विद्युत क्षेत्र कम्पनियों में कम्पनी वार राज्य सरकार के निवेश की स्थिति ***परिशिष्ट 1.2*** में दर्शायी गई है। 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से तीन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों से सम्बन्धित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:-

---

5 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से अपनाई गई थी जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर की गणना = ब्याज का भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियों की राशि+वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियां/2]*100

6 रियायती दर जो वैकल्पिक निवेशो में अर्जित की जा सकती है।

तालिका 1.8: राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण और 2007-08 से 2017-18 तक के सरकारी कोष का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
i	वर्ष की शुरूआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य											
	-	86.96	370.46	604.59	1225.33	840.82	1108.75	1509.20	1306.42	1930.60	1564.42	
ii	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी											
	79.71	252.32	186.31	532.29	-445.35	185.04	292.42	-298.54	142.79	229.81	219.64	1376.44
iii	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ब्याज रहित ऋण											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iv	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज रहित ऋण											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
v	वर्ष के दौरान कुल निवेश (**v=iii+iv-v**)											
	79.71	252.32	186.31	532.29	-445.35	185.04	292.42	-298.54	142.79	229.81	219.64	
vi	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश (**vii=ii+vi**)											
	79.71	339.28	556.77	1136.88	779.98	1025.86	1401.17	1210.66	1449.21	1794.23	2150.24	
vii	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत* में)											
	9.09	9.19	8.59	7.78	7.80	8.08	7.71	7.91	7.95	7.60	7.71	
viii	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य (**ix={vii*(ii+viii)/100}**											
	86.96	370.46	604.59	1225.33	840.82	1108.75	1509.20	1306.42	1564.42	1930.60	2316.02	
ix	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल **x={vii*viii/100}**											
	7.25	31.18	47.83	88.45	60.84	82.89	108.03	95.72	115.17	136.32	165.73	
x	वर्ष[7] के लिए कुल अर्जन											
	-	-	-	-152.62	-152.62	-315.94	-512.76	-356.72	-156.88	-129.32	-39.73	

वर्ष के अन्त में इन तीनों कम्पनियों में राज्य सरकार के निवेश की देय राशि 2007-08 में ₹79.71 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹1,376.44 करोड़ हो गई क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के रूप में और निवेश किया था (₹1,296.73 करोड़)। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹2,316.01 करोड़ निकला।

यह देखा जा सकता था कि वर्ष 2010-11 से 2017-18 के दौरान कम्पनियों का कुल अर्जन ऋणात्मक ही रहा जो दर्शाता है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल कमाने के स्थान पर ये कम्पनियां निधियों की लागत भी वसूल नही कर सकी।

निवल मूल्य (नेटवर्थ) का क्षरण

1.12 नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष (प्रदत्त पूंजी + मुक्त भण्डार + अधिशेष – संचित हानियां + आस्थगित राजस्व व्यय।) दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेट वर्थ दर्शाता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की सम्, संचित हानियां ₹2,747.21 करोड़ के पूंजीगत निवेश (ऐतिहासिक लागत) के प्रति ₹2,064.03 करोड़ थी जिसका परिणाम ₹683.18 करोड़ के नेट वर्थ में हुआ ***(परिशिष्ट 1.1)***। इन चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में नेटवर्थ (₹-1,396.34 करोड़) पूर्णत: समाप्त कर दिया गया था।

निम्नलिखित तालिका, 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (नियन्त्रक कम्पनियां) की प्रदत्त पूंजी संचित लाभ/हानि तथा नेट वर्थ को प्रदर्शित करती है:-

[7] वर्ष हेतु कुल अर्जन उन तीन विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां निवेशित की गई थी, उनसे सम्बन्धित वर्ष हेतु कुल निवल अर्जन (लाभ/हानि) को दर्शाता है।

तालिका 1.9: 2013-14 से 2016-17 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का नेटवर्थ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ(+)/हानि(-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2013-14	2,447.16	-1,398.35	125.05	923.76
2014-15	2,110.01	-1,755.07	120.98	233.96
2015-16	2,391.14	-1,920.33	116.20	354.61
2016-17	2,677.69	-2,049.65	115.53	512.51

राज्य सरकार इन चारों विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों को पूंजीगत कार्यों हेतु तथा इनकी नकदी को बेहतर बनाने के लिए 2013-18 की अवधि के दौरान इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। तथापि, पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाने के बावजूद इन विद्युत कम्पनियों की संचित हानियां 2013-14 में ₹1,398.35 करोड़ से बढ़ कर 2016-17 में ₹2,049.65 करोड़ हो गई।

2013-14 और 2017-18 के दौरान इन चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से एक[8] विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नेटवर्थ ऋणात्मक तथा तीन[9] विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का नेट वर्थ धनात्मक प्रदर्शित हुआ।

लाभांश भुगतान

1.13 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अप्रैल 2011) जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लाभकारी उपक्रमों को कर के बाद लाभ पर 50 *प्रतिशत* की सीमा तक सरकार द्वारा भुगतान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर पांच प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल देना आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2017-18 में प्राप्त नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार किसी भी विद्युत क्षेत्र उपक्रमों ने लाभ नहीं कमाया।

इक्विटी पर प्रतिफल

1.14 इक्विटी पर प्रतिफल, वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह निर्धारित करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से कम्पनी की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभ बनाने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे *प्रतिशत* के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय तथा शेयरधारकों की निधि, दोनों ही धनात्मक संख्या हो।

कम्पनी के शेयर धारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी एवं फ्री रिजर्व, कुल संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है जो यह प्रकट करती है कि यदि सभी परिसम्पत्तियां बेच दी जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तब हितधारकों के लिए कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कम्पनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसम्पत्तियों से अधिक है।

चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में, जहां राज्य सरकार ने निधियों का निवेश किया था, इक्विटी पर प्रतिफल की गणना की गई। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित शेयरधारक निधि तथा इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

तालिका 1.10: चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जहां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधियों का निवेश हुआ

वर्ष	कुल आय/वर्ष[10] हेतु कुल अर्जन	शेयरधारक निधि	इक्विटी पर प्रतिफल
2013-14	-512.76	923.76	-
2014-15	-356.72	233.96	-
2015-16	-156.88	354.61	-
2016-17	-129.32	512.51	-
2017-18	-39.73	683.18	-

[8] हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

[9] हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित तथा ब्यास घाटी बिद्युत निगम सीमित।

[10] नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि में 2013-14 से 2017-18 के दौरान निवल आय ऋणात्मक थी, क्योंकि सभी वर्षों के लिए निवल आय ऋणात्मक रही इसलिए इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में इक्विटी पर प्रतिफल नहीं निकाला जा सका।

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

1.15 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक ऐसा अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है।

नियोजित पूंजी[11] पर प्रतिफल की गणना, ब्याज एवं कर से पहले कम्पनी के अर्जन को नियोजित पूंजी से विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सभी चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.11: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज और करों से पहले की कमाई (ई.बी.आई.टी) (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹करोड़ मे)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (*प्रतिशत*)
2013-14	-251.64	2,318.15	-10.86
2014-15	-356.72	6,045.75	-5.90
2015-16	-156.88	7,348.83	-2.13
2016-17	-128.29	6,341.71	-2.02
2017-18	-39.73	7,174.49	-0.55

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल -0.55 *प्रतिशत* और -10.86 *प्रतिशत* के बीच रहा।

कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.16 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों को चुकाने की क्षमता का आंकलन करके किया गया। ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से इसका आंकलन किया जाता है।

ब्याज कवरेज अनुपात

1.17 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज की भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसकी गणना ब्याज एवम् कर से पहले कम्पनी के अर्जन को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा कम्पनी की कर्ज पर ब्याज देने की क्षमता उतनी कम होगी। ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है तो कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जिन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में ब्याज का भार था उनका ब्याज कवरेज अनुपात नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ रूपये)	ब्याज और कर से पहले की आय (ई.बी.आई.टी) (₹करोड़ रूपये)	सरकार और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या
2013-14	261.11	-251.64	4	-	4
2014-15	455.37	-356.72	4	-	4
2015-16	573.38	-156.88	4	-	4
2016-17	535.52	-128.29	4	-	4
2017-18	518.55	-39.73	4	-	4

यह देखा गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान किसी भी विद्युत क्षेत्र की कम्पनी का बकाया ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक नहीं था।

[11] नियोजित पूंजी- प्रदत्त पूंजी का अंश + फ्री रिजर्व व अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय/ आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया है।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.18 पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उप.्मों के टर्नओवर में 11.84 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज किया गया और ऋण का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 4.19 *प्रतिशत* था जिस कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 1.44 से बढ़कर 2017-18 में 1.08 हो गया जैसा की नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.13: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	5,509.06	6,160.88	4,957.69	5,829.20	6,491.31
टर्नओवर	3,830.56	4,230.44	5,093.79	5,599.56	5,993.79
ऋण-टर्न ओवर अनुपात	1.44:1	1.46:1	0.97:1	1.04:1	1.08:1

स्रोत: *परिशिष्ट 1.1* के आधार पर संकलित

उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.19 विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरंस योजना (उदय स्कीम) शुरू की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के अनुसार भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता थी:

परिचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

1.19.1 भाग लेने वाले राज्यों को फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एल.ई.डी. प्रदान करके डिमांड साईड प्रबन्धन, संसाधनों के सर्वोतम उपयोग के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना अनिवार्य और दीर्घकालिक व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देने और कम से कम 10 *प्रतिशत* मौजूदा कृषि पंपों को ऊर्जा कुशल पंपों के साथ बदलने जैसी लक्षित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना अपेक्षित था। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभों जैसे फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर नुकसान का पता लगाने की क्षमता, नुकसान करने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं बिजली कटौती के समय को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना और चोरी कम करके पीक लोड को कम करने तथा ऊर्जा की खपत आदि के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने सम्बन्धी उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। परिचालन सुधार के परिणामों के संकेत अर्थात 2018-19 में विद्युत मन्त्रालय और राज्यों द्वारा हानि प्रक्षेप पथ के अनुसार ए.टी.एण्ड सी. हानि को 12.75 *प्रतिशत* तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत और वसूले गए औसत राजस्व के बीच अन्तर का 2018-19 तक शून्य करने के माध्यम से मापा जाना था।

वित्तीय बदलाव के लिए योजना

1.19.2 राज्य को 2016-17 तक डिस्कॉम ऋण के 75 *प्रतिशत* को लेना अपेक्षित था। अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बदलाव हेतु योजना में प्रावधान है कि:

- राज्य गैर एस.एल.आर.बांड जारी करेगा और ऐसे बांडो के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्काम में स्थानांतरित कर दिया जाऐगा जो बदले में बैंको/वित्तीय संस्थानो के ऋण की राशि का निवर्हन करेगा। इस प्रकार जारी किए गए बांड में पाँच साल तक मूलधन के पुनर्भुगतान पर स्थगन के साथ 10-15 सालों की परिपक्वता अवधि होगी।
- डिस्काम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता में लिया जाएगा और इसके बाद उच्च लागत के साथ ऋण को लिया जाऐगा।

- 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्काम को स्थानान्तरण ऋण के रूप में किया जाएगा जो कि राज्य डिस्काम द्वारा 2020-21 के दौरान कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद 75 *प्रतिशत* अनुदान तथा 25 *प्रतिशत* इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.19.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:-

(क) परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत तीन राज्य डिस्काम से सम्बन्धित विभिन्न परिचालनात्मक मापदण्डों के तहत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.14: 30 सितम्बर 2018 तक मापदण्डवार उपलब्धियों की तुलना में परिचालन निष्पादन के लक्ष्य

उदय योजना के मापदण्ड	'उदय' योजना के तहत लक्ष्य	'उदय' योजना के तहत प्रगति	उपलब्धियां (*प्रतिशत* में)
फीडर मीटरींग (संख्या में)	मीटर पहले से स्थापित है		
वितरण ट्रांसफर्मर पर मीटरींग (संख्या में)			
शहरी	मीटर पहले से स्थापित है		
ग्रामीण	10300	618	6.00
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	पहले से की गई उर्जा लेखापरीक्षा		
घर जो बिजली से वंचित है। (संख्या लाख में)	0.05	0.07	100
एल ई डी उजाला का वितरण (संख्या लाख में)	पहले से ही वितरित		
ए.टी. और सी हानियाँ (*प्रतिशत* में)	12.75	11.51	100
ए.सी.एस और ए.आर. आर. अन्तर (₹ प्रति ईकाई)	-0.05	-0.25	100

स्रोत: भारत सरकार के विद्युत मत्रांलय की वैब साईट के अनुसार उदय योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य कार्ड

ग्रामीण क्षेत्र में वितरण ट्रांसफॉर्मर की मीटरिंग में राज्य ने खराब प्रदर्शन किया, जबकि बिजली से वंचित घरों को बिजली प्रदान करने के मामले में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इसके अलावा राज्य ने ए.टी. और सी नुकसान को घटाकर 12.75 *प्रतिशत* करने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है।

(ख) वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.19.4 हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को 'उदय' योजना का लाभ उठाने के लिए सैद्धांतिक सहमति (18.08.2016) दी। तत्पश्चात त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (8 दिसम्बर 2016, ऊर्जा मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य डिस्काम अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य)। 15 सितम्बर 2015 को उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार कुल बकाया ऋण (₹3,854 करोड़) राज्य डिस्काम से सम्बन्धित है, 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल ₹2,890.50 करोड़ का ऋण लिया जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	योग
2015-16	--	--	--	--
2016-17	--	2,890.50	--	2,890.50
जोड़	--	**2,890.50**	--	**2,890.50**
2017-18	--	--	--	--
31.03.2018 की स्थिति	--	2,890.50	--	2,890.50

उदय योजना के अन्तर्गत ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई ₹2,890.50 करोड़ रूपये की राशि को 2020-21 के दौरान 75 *प्रतिशत* अनुदान तथा 25 *प्रतिशत* इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां

1.20 तीन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान महालेखाकार को अपने तीन लेखापरीक्षित लेखों के अग्रेषित किया। सभी लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखों की गुणवत्ता में वस्तुत: सुधार करने की आवश्यकता का संकेत दिया है। 2015-18 के लेखों में कुल धन मूल्य पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निम्न प्रकार से है:-

तालिका 1.16: विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	3.27	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	2	21.16	2	24.98
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का गैर प्रकटीकरण	-	-	-	-	-	-

स्रोत : सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा परीक्षकों/नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो लेखों पर क्वालिफाईड प्रमाण-पत्र और एक लेखे पर डिसक्लेमर जारी किया था। विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक लेखे में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के चार उदाहरणों को इंगित किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

1.21 31 मार्च 2018 के समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन भाग-। के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा सैंज जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित चार अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर जबाव प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। राज्य सरकार से दो अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद के उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2019)। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर दिये हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद का कुल वित्तीय प्रभाव ₹671.82 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.22 भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच का परिणाम है। अत: यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करे। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए थे (फरवरी 1994) कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन मास की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समीति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना उत्तर प्रस्तुत किए जाए। ऊर्जा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल परिच्छेदों के लिए सभी व्याख्यात्मक टिप्पणियां अग्रेषित की है।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.23 30 सितम्बर 2018 तक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा परिच्छेदों की चर्चा की अवस्था, जो कि लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में दर्शाए गए है, निम्नवत् है:-

तालिका 1.17: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखा परीक्षाओं/परिच्छेदों की तुलना में 30 सितम्बर 2018 तक चर्चित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/परिच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ परिच्छेदो की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2011-12	1	5	1	1
2012-13	2	5	0	3
2013-14	1	5	0	5
2014-15	1	9	0	0
2015-16	0	9	0	0
2016-17	1	9	0	0

स्त्रोत: लोक उपक्रम समीति में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के आधार पर सकंलित।

2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक के उपक्रमों) पर चर्चा पूरी हो चुकी है।